



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 1810 सन् 2026

विकास कुमार सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आर्य गौतम, अतिप्रिया गौतम, दिव्या ज्योति

उत्तरदातागण के अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री आर्या गौतम के संक्षिप्त विवरण के साथ सुश्री वैष्णवी श्रीवास्तव (नामांकन संख्या उ0प्र036077/2025 द्वारा सहायता प्राप्त विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजय गौतम और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि रिट याचिकाकर्ता को शुरू में 27.09.2011 को मृतक आश्रित नियमावली के अधीन उप-निरीक्षक (लिपिक वर्गीय) के रूप में नियुक्त किया गया था और जब रिट याचिकाकर्ता पुलिस प्रशिक्षण स्कूल (पी.टी.एस.) जालौन में उप-निरीक्षक (लिपिक वर्गीय) के रूप में तैनात था, उसने आगरा जोन या अलीगढ़ जोन में स्थानांतरण के लिए इस आधार पर आवेदन किया था कि उसकी पत्नी उप-निरीक्षक है और वह मथुरा जिले में तैनात है। चूंकि रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार नहीं किया जा रहा था, इसलिए रिट याचिकाकर्ता ने रिट-ए संख्या 19304 सन् 2024 (विकास कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) को प्राथमिकता दी, जिसे 12.12.2024 को निस्तारित किया गया, जिसमें प्राधिकारी को उसके दावे पर विचार करने का निर्देश दिया गया, जिसे 15.02.2025 को अस्वीकार

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कर दिया गया था। इस बीच, रिट याचिकाकर्ता को निरीक्षक के रूप में पदोन्नत कर दिया गया। यद्यपि, रिट याचिकाकर्ता के अनुसार 14.01.2026 को एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसके अनुसार, अब पति-पत्नी एक साथ रह सकते हैं।

3. वर्तमान रिट याचिका में प्रार्थना है कि दूसरे उत्तरदाता, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (स्थापना/कार्मिक) डीजीपी मुख्यालय लखनऊ को अनुकंपा के आधार पर पुलिस प्रशिक्षण स्कूल (पीटीएस) जालौन से आगरा जोन या अलीगढ़ जोन, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस, कासगंज, मथुरा या गाजियाबाद में स्थानांतरित करने के रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विधि के पूर्णतः अनुपालन में विचार करने का निर्देश दिया जाए।

4. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे पर उत्तरदाता संख्या 2 को पहले निर्णय लेने की आवश्यकता है।

5. प्रतिवाद में इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का **निस्तारण** इस निर्देश के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता, रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ, उत्तरदाता संख्या 2 के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे, जो उक्त अभ्यावेदन पर रिट याचिकाकर्ता के दावे पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर विधि के पूर्णतः अनुरूप विचार करेगा।

फ़रवरी 9, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"